राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ.15(1)विग्रास/विधि/पंरा/2015/ 753 जयपुर,दिनांकः 17.12. 2015

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय : दिनांक 23.12.2015 को "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान" के संबंध में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित करने बाबत।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत चयनित गॉवों मे ग्राम कार्य योजनाएं तैयार कर डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है । अभियान के प्रभावी कियान्वयन के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि **अभियान में चयनित समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 23.12.2015 को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जायें।** इस प्रकार से आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा में क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाये ।

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 2574–2642 दिनांक 07.12.2015 के साथ पूर्व में समस्त सरपंचों को संबोधित अपील एवं प्रतिज्ञा संलग्न कर भिजवाई गई थी। उक्त प्रतिज्ञा भी इन ग्राम सभा में समस्त उपस्थित जन को दिलवाई जाये ।

राज्य स्तर से उपलब्ध करवाई गई आईईसी सामग्री एवं अभियान हेतु तैयार की गई दृश्य–श्रव्य सामग्री का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाये एवं इन ग्राम सभाओं में अभियान के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो एवं इन से होने वाले लाभों के संबंध में सभी ग्राम वासियो को अवगत करायें तथा अभियान के कार्यो हेतु श्रम दान करने एवं यथा संभव आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करें । ग्राम सभा में कार्ययोजना पर अधिकाधिक सकारात्मक चर्चा की जाये एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप कार्य लिये जायें।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि :–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, जिला प्रभारी मंत्रीगण, समस्त।

3. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
7. ज़िला कलेक्टर, समस्त।
8. परियोजना प्रबंधक, वारटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त ।
10. रक्षित पत्रावली ।

उप विधि परामर्शी